

आधुनिक होंगी 41 आयुध फैक्टरियां, 7 कंपनियां बनेंगी

बरकरार रहेगी 70 हजार कर्मियों की सेवा शर्तें, रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी करना लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाते हुए करीब 200 साल पुराने आयुध कारखाना बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य कारखानों की क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इसके लिए बोर्ड के तहत संचालित हथियार और असलहा तैयार करने वाली 41 आयुध फैक्टरियों को आपस में विलय करते हुए सात कंपनियों में तब्दील किया जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में करीब दो दशकों से लंबित इस सुधार प्रक्रिया पर बुधवार को मंजूरी की मुहर लगा दी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, कारखानों में कार्यरत 70 हजार



कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह निर्णय रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है। इससे हमें अपने रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, सभी सात कंपनियां रक्षा क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह ही होंगी। जिनका लक्ष्य उत्पादों की संख्या बढ़ाने के साथ ही किफायती

खर्च का गणित

5000

करोड़ रुपये कर्मियों के सालाना वेतन पर खर्च करती है सरकार

3000

करोड़ रुपये परिचालन गतिविधियों के लिए भी होते हैं खर्च

और बेहतर गुणवत्ता देना होगा। सुधार की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत की जा रही है। एक अधिकारी के अनुसार, सात कंपनियों में गोलाबारूद गुप, व्हीकल गुप, हथियार व उपकरण गुप के साथ ही टुकड़ियों की सुविधाओं की सामग्री व अन्य गुप होंगे। फैसले से गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे कर्मी

आयुध कारखानों से जुड़े सभी कर्मचारियों (ए, बी और सी) को शुरुआत में प्रतिनियुक्ति पर दो साल के लिए इन नई कंपनियों में भेजा जाएगा। इस दौरान उनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वे केंद्र सरकार के ही कर्मचारी रहेंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सारे दायित्वों का सरकार निर्वहन करेगी।